राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G /M-1/गाईडलाईन/2017–18 जयपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची (PWL) से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/04/2017-RH(A/c) दिनांक 24.10.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत विभागीय पत्र दिनांक 11.04.2017 द्वारा योजना के निर्धारित 14 मापदण्डों की जांच कराकर अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृति निरस्त कर राशि वसूल कर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश जिलों को दिये गये थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा स्थायी वरीयता सूची (PWL) से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाये जाने हेतु आवाससॉफ्ट पर किये गये प्रावधानों के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपात्र लाभार्थियों के वरीयता सूचियों से निम्नानुसार 3 तरह के प्रकरणों में नाम हटाये जाने का प्रावधान किया है :–

1. जिनके आवास स्वीकृत नहीं है।
2. आवास स्वीकृत, परन्तु किश्त का भुगतान नहीं किया गया है।
3. आवास स्वीकृत एवं किश्त भुगतान कर दिया गया है।

उक्त संबंध में निर्देशानुसार निम्नानुसार अपात्र लाभार्थियों के नाम वरीयता सूची से हटाये जाने हेतु प्रकिया निर्धारित की गई है :–

1. आवाससॉफ्ट पर जिला स्तरीय लॉगइन के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों के प्रस्ताव मय अपात्र सत्यापित होने संबंधित दस्तावेज अपलोड कर राज्य को भिजवाये जावेंगे।
2. आवाससॉफ्ट पर राज्य स्तरीय लॉगइन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला स्तर से संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त लाभार्थी के अपात्र पाये जाने पर प्रकरण को सत्यापित कर ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा।
3. राज्य स्तर के सत्यापन उपरान्त प्रकरण पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर के लॉगइन पर दर्शित होगा।
4. पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रकरण को ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा।
5. ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा आवाससॉफ्ट पर ग्राम सभा के अनुमोदन की प्रति संलग्न कर पुनः ऑनलाईन किया जावेगा।
6. उक्तानुसार कार्यवाही के उपरान्त राज्य स्तर से प्रकरण को जिला स्तर पर ऑनलाईन भिजवाने के उपरान्त अपात्र लाभार्थी का नाम वरीयता सूची से हट जावेगा। इसके उपरान्त वरीयता सूची अनुसार वरीयता क्रम के अगले लाभार्थी को स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.11.2017 को जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय आवास प्रभारी व एमआईएस/कप्यूटर कार्मिकों की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विस्तृत प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाये जाने के संबंध में प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.10.2017 के निर्देशानुसार, नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

14.11.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

14/11/17
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

D. No. 7130 ACS/RD & PR/201
Date 31 OCT 2017

J-11060/04/2017-RH(A/c)
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th October, 2017

To
The Addl. Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary (RD)
of All States and UTs
dealing with Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin.

1617547
Date 31.10.2017

Subject: Module on deletion of Households from PWL reg:-

Sir,

I am directed to say that a Module on deletion of Households from Permanent Wait List (PWL) after remanding the same from Gram Sabha has been prepared (copy enclosed) and made live at District and State Login.

2. In this connection, it is requested to proceed as per the above mentioned module in respect of the pending cases regarding the deletion of households from PWL.

Your's faithfully

Encl: As above

XEN (RH)

(M. Ramakrishna)
Under Secretary to Govt. of India
Tel: 23381343

4076 (SE/RD)/WS
1/11/17

WORKFLOW AND PROCESSES INVOLVED IN DELETION OF HOUSEHOLDS FROM PWL AND REMANDING CASES TO GRAM SABHA

DISTRICT- Concerned official at the district level will initiate the cases which are to be remanded to the GS with reason and sufficient proof. Upon submission, the cases selected by the user will be transmitted to the State for further consideration.

1) Login from respective district in AwaasSoft.
2) Access tab titled 'Beneficiary Selection under PMAY-G'
3) Click on link- 'Cases to be Remanded to Gram Sabha'
4) Choose Block and Gram Panchayat from the dropdown.
5) Choose among 3 options appearing in the form of radio buttons; (i) Yet to be sanctioned (ii) Sanctioned but no installment paid (iii) Sanctioned and installment released.

   Remarks: The Permanent Waitlist (PWL) will be displayed as per the option chosen. For instance, if the user chooses 'Sanctioned', all beneficiaries appearing on the PWL, who have been sanctioned houses but are yet to receive any financial assistance, will be displayed.
6) Select the beneficiary who has been found to be ineligible by clicking on the checkbox next to the beneficiary. Choose reason for ineligibility from dropdown. Upload necessary documents substantiating the claim. Click on 'Submit'.

   Remarks: Presently two options will be displayed in the dropdown: Beneficiary has a pucca house and Death/Migration.

STATE- The State will consider the cases submitted by the district and approve the same, depending on merit of the case, through OTP or digital signature based authentication. Consequent upon approval, the cases will start appearing at the block/GP login for further necessary action.

1) Login from State level in AwaasSoft.
2) Access tab titled 'Beneficiary Selection under PMAY-G'
3) Click on link- 'Cases to be Remanded to Gram Sabha'
4) Choose District, Block and Gram Panchayat from the dropdown.
5) Choose among 3 options appearing in the form of radio buttons; (i) Yet to be sanctioned (ii) Sanctioned (iii) Sanctioned and installment released.
6) View reasons and documents uploaded by the district. Once satisfied, approve beneficiaries whose name(s) are to be remanded to the Gram Sabha for re- verification by clicking on the checkbox next to the beneficiary.

beneficiary, the option to sanction another beneficiary in place of the deleted beneficiary will only be enabled once the State has initiated necessary proceedings pertaining to recovery or otherwise. On the other hand if the beneficiary is confirmed as 'Eligible', his/her name will no longer be highlighted in the PWL. Further transactions would be enabled against such cases.

1) Login from the State level in AwaasSoft.
2) Access tab titled 'Beneficiary Selection under PMAY-G'
3) Click on link- 'Decision taken by Gram Sabha on remanded cases'
4) Choose District, Block and Gram Panchayat from the dropdown.
5) Choose among 3 options appearing in the form of radio buttons; (i) Yet to be sanctioned (ii) Sanctioned (iii) Sanctioned and installment released.

   Remarks: For all 3 options, the cases submitted by the Gram Sabha will be displayed. The user should examine the documents uploaded through the block/GP login against each case. Thereafter the user may choose either 'Confirm' or 'Reject' depending on the validity of the documents examined. A separate tab will open if 'Reject' is selected wherein the user will have to record the reason.
6) Click on 'Submit' button which will appear against each case. An OTP will be sent to the mobile no. and e mail ID that is mapped to the State login. Enter the OTP. The decision will get submitted.

   Remarks: If both Gram Sabha and State confirm eligibility, the beneficiary will be reinstated and will no longer be highlighted in the PWL. Further transactions would be enabled against such cases. If both Gram Sabha and State confirm ineligibility, the beneficiary will be deleted from the PWL. For option (i) and (ii) in point 5, sanctioning in place of deleted beneficiary will be enabled. For option (iii), if the user confirms ineligibility, a pop up will appear asking- 'If necessary proceedings have been initiated by the State?' The user will only be allowed to submit if he/she chooses 'Yes'.

   For cases which are rejected by the State on grounds of invalidity of documents, the reasons have to be clearly recorded. It will be the responsibility of the State to convey the reasons for rejection to the Gram Panchayat and ask the concerned official to furnish valid documents. Thenceforth the provision to re examine the cases may be enabled.

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/अ.वि./2017–18 दिनांक 11 अप्रेल, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों एवं आवासों को अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने के क्रम में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 23.11.2016, एवं 10.02.2017।

योजनान्तर्गत प्रांसागिक पत्र दिनांक 23.11.2016 द्वारा दिनांक 28.11.2016 को ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर दिनांक 10.12.2016 तक आपत्तियां प्राप्त कर, निस्तारण उपरान्त दिनांक 16.12.2016 को अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित करने के क्रम में सेक डाटा–2011 के अनुसार ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की प्रदर्शित सूची में शामिल पक्के आवास व आवास योजनाओ के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के नाम अनिवार्य रूप से पृथक किये जाने एवं योजनान्तर्गत परिवार की पात्रता निर्धारित 14 मापदण्ड की जांच उपरान्त ही वरीयता सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा स्वीकृति के समय किसी ग्राम पंचायत में 5 प्रतिशत से अधिक परिवार अपात्र पाये जाने पर ग्राम सभा प्रभारी व सम्बंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये गये।

योजनान्तर्गत आवाससॉफ्ट पर दर्ज पात्र परिवारों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान स्वीकृत आवासों के विरूद्व अभी भी लगभग 3 लाख लाभान्वित लाभार्थियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा अपलोड वरीयता सूची से नही हटाये गये है (सूची संलग्न)।

विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों की जांच उपरान्त ध्यान में आया है कि योजना के निर्धारित 14 मापदण्डों की ठीक से जांच नही की जाकर अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है, जो कि खेदजनक है।

अतः योजना के सफल कियान्वयन के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे:–

1. वर्ष 2016–17 मे स्वीकृत किये गये आवासों का योजनान्तर्गत 14 मापदण्डों के परिपेक्ष्य में विकास अधिकारी सम्बन्धित से दिनांक 30 अप्रेल, 2017 तक पुनः सत्यापन/जांच कराकर, अपात्र पाये जाने पर जारी स्वीकृति को तुरन्त निरस्त कर, अपात्र लाभार्थियों को यदि प्रथम किश्त जारी कर दी गई हो तो अविलम्ब राशि वसूल कर राजकोष मे जमा कराई जावे।
2. इसी क्रम में रेण्डम आधार पर तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं/जिला स्तरीय अधिकारियों के दल से भी जांच कराई जाकर, अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां अविलम्ब निरस्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
3. ग्राम पंचायत कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर वर्ष 2016–17 में स्वीकृत किये गये लाभार्थियों की सूची चस्पा की जावे।

4. साथ ही वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लक्ष्यानुसार सम्भावित पात्र परिवारों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जावे।
5. विभागीय निर्देशानुसार ग्राम पंचायतवार, वर्गवार पात्र परिवारों की सूची का पंचायत समितिवार संकलित कराकर स्थानीय राजकीय कार्यालयों, माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जावे।
6. उक्तानुसार जारी निर्देशों के कम में 30 अप्रेल, 2017 तक समस्त अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां निरस्त कराकर उनके स्थान पर वरीयता कम में पात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां जारी करावें।
7. माह मई, 2017 के प्रथम सप्ताह में स्थानीय समाचार–पत्रों में अपील जारी कर जारी स्वीकृतियों में अपात्र लाभार्थियों की सूचना देने वाले को व्यक्तिगत यथोचित सम्मानित कर दोषी स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अतः आप योजनान्तर्गत पारदर्शिता के कम में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराकर अपात्र लाभार्थियों को स्वीकृतियां निरस्त कराने बाबत् आवश्यक कार्यवाही करावे एवं 30 अप्रेल, 2017 के उपरान्त भी यदि किसी अपात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां निरस्त नहीं की जाती है तो ऐसे प्रकरण पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें।

10.4.2017

(सुदर्शन सेठी,)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्राविवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)